# OFFICE OF THE LABOUR COMMISSIONER GOVT. OF NCT OF DELHI 5-SHAM NATH MARG, DELHI- 110054.

NO. 3635

Dated - 27/2/21

To, System Analyst, IT Branch, Labour Department, Delhi- 110054.

Sub:- Draft Delhi Shops and Establishments (Amendment)Rules, 2021for inviting suggestion/inputs.

Madam,

This is with reference to subject metioned above. In this regard, it is to inform you that the draft of Delhi Shops and Establishments (Amendment) Rules, 2021 has been notifed on 24.09.2021. As per notification the suggestions and inputs has to be invited from the public.

It is therefore, requested to upload the same on the website of Labour Department for a period of 15 days.

Yours faithfully Arvind Kumar) 27/9/21 LA.

REGD. No. D. L.-33002/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99



## एस.जी.-डी.एल.-अ.-25092021-229941 SG-DL-E-25092021-229941

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2021/आश्विन 2, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 185
No. 275]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021/ASVINA 2, 1943	[N. C. T. D. No. 185

## भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### श्रम विमाग

#### अधिसूचना

#### दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

सं. 15(52)/लैब/2021/3618-3626.—दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने, दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 (दिल्ली अधिनियम 1954 का 7), धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, इससे प्रभावित होने की सम्भावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिये, उक्त अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) के अनुसरण में प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों की अवधि के समाप्ति के बाद, इसके संबंध में निर्धारित अवधि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के साथ विचार किया जायेगा। इस संबंध में आपत्तियों और सुझावों को अतिरिक्त सचिव (श्रम) सी. ब्लाक, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली–110054 को संबोधित किया जाना चाहिए।

# 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः--

(1). इन नियमों को दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है।

(2): वे दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से या प्रारूप नियमों के प्रकाशन के 15 दिनों के बाद लागू होंगे।

# 2. नियम 3 के लिये नये नियम का प्रतिस्थापन

दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान नियम, 1954 (जिसे इसमें इसके बाद ''मूल नियम'' कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः **'3' धारा 5 की उप–धारा (1) के तहत विवरण और अन्य ब्यौरे** जमा करने का प्रपत्र – स्थापना के अधियोक्ता, अपने काम के शुरू होने के 90 दिनों के भीतर श्रम विभाग के दुकान और स्थापना पोर्टल पर अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा।

### 3. नियम 4-का संशोधन

2

'मूल नियम में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—**4 प्रतिष्ठानों के** पंजीकरण का तरीका और पंजीकरण प्रमाण पत्र का फॉर्म — श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दुकान और प्रतिष्ठान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर, पंजीकरण प्रमाणपत्र फॉर्म सी में ऑनलाइन जेनरेट किया जाएगा।

4. नियम 6 का संशोधनः-

मूल नियम में नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः– 6 परिवर्तन को सूचित करने का रूप और तरीका– अधिभोगी अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा(1) के तहत किसी भी जानकारी के संबंध में इस तरह के परिवर्तन होने के 30 दिनों के भीतर, ऑनलाइन श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के दुकान और स्थापना पोर्टल पर सूचित करेगा।

5. अनुसूची I में संशोधन

मूले नियमों में, अनुसूची I को हटा दिया जाता है।

6. अनुसूची II में संशोधनः-

मूल नियमों में, अनुसूची II को हटा दिया जाता है।

7. प्रपत्रों में संशोधनः-

मुल नियमों में, फॉर्म G इस तरह प्रतिस्थापित किया जाता है

8. प्रपत्रों का विलोपनः--

मुल नियमों में, फॉर्म 'H' और 'I' हटा दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश एवं उनके नाम से,

एस. सी. यादव, अतिरिक्त सचिव (श्रम)

फार्म G

# मजदूरी / कटौती / ओवर टाइम / अग्रिम का रजिस्टर

महीने के लिये .....

स्थापना / दुकान का नाम	
स्थापना / दुकान का पता	
स्थापना / निर्माण प्रक्रिया / व्यवसाय आदि की प्रकृति	

	क्रम. संख्या	कर्मचारी का नाम (आईडी या टोकन यदि कोई हो)	उम्र ∕ जन्म तिथि	पता	शिक्षा / कौशल	लिंग (पुरूष या महिला)	पिता <b>या</b> पति का नाम	पद नाम∕कार्य की प्रकृति∕ श्रेणी	कार्य किये गये दिनों की संख्या	छुटटियों की श्रेणी	छुटियों के दिनों की संख्या	छुटियॉ अस्वीकृत	कुल शेष छुटियॉ
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

[PART IV

# DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

अन्य भत्ते	ओवर टाइम काम (माह में दिनों की संख्या)	ओवर टाइम वेतन राशि	कोई अन्य राशि ⁄ भत्ता	कुल सकल मजदूरी ⁄ वेतन	अग्रिम राशि / ऋण	लगाया गया जुर्माना की कटौती (यदि हो)	अन्य कटौती जैसे ईपीएफ / ईएसआई / कल्याण	कुल देय राशि 14—(15+16+17)	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	सेवा समाप्ति की तिथि और कारण	टिप्पणी (यदि कोई हो)
. 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

नियोक्ता / अधिभोगी / प्रबंधक के हस्ताक्षर\_\_\_\_

हस्ताक्षरकर्ता का नामः

١

# उपस्थिति लेखा

स्थापना का नाम...... स्वामि/अधिभोगी/प्रबंधक का नाम

स्थापना का पता...... प्रबंधक का नाम.....

महिना..... वर्ष.....

कमांक मस्टर रोल–सह–मजदूरी का रजिस्टर (फॉर्म III)	कार्यकर्ता का नाम	दिनांक 1 2 331	दिनों की संख्या (सांरांश)	घंटों की संख्या	हस्ताक्षर

यदि कोई कर्मचारी मौजूद नहीं हैं तो दर्ज करने के लिए निम्नलिखित दर्ज करेः (आराम के लिए आर/पेड लीव के लिए एल/अनुपस्थित के लिए ए/ साप्ताहिक छुटटी के लिए ओ/ सार्वजनिक अवकाश के लिए एच/स्थापना बंद के लिए सी)

### LABOUR DEPARTMENT

### NOTIFICATION

#### Delhi, the 24th September, 2021

No. 15(52)/Lab/2021/3618-3626.—The following draft rules further to amend the Delhi Shops and Establishments Rules, 1954 which the Government of National Capital Territory of Delhi proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 47 of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954 (Delhi Act, 7 of 1954) is hereby published in pursuance of sub-section(1) of Section 47 of the said Act for the information of the persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken up for consideration, after the expiry of a period of 15 days from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette together with the objections and suggestions received in respect thereto, by the stipulated period. The objections and suggestions in this behalf should be addressed to the Additional Secretary (Labour), C-Block, 5, Sham Nath, Marg, Delhi-110054.

# 1. Short title and commencement:-

(1) These rules may be called the Delhi Shops and Establishments (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette or after 15 days of publication of draft Rules.

# 2. Substitution of New Rule for Rule 3:-

In the Delhi Shops and Establishments Rules, 1954 (hereinafter referred to as "the principal Rules") for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:- "3. Form of submitting statement and other particulars under sub-section (1) of section 5- The occupier of the establishment, within 90 days of the commencement of work of his establishment shall apply for the registration under the Act, online on the Shop and Establishment Portal of Labour Department.

3

# 3. Amendment of Rule 4-

4

In the Principal Rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:- 4 Manner of registering establishments and form of registration certificate – On submission of application online on the Shop & Establishment portal of Labour Department, Government of NCT of Delhi, the registration certificate shall be generated online in Form C.

# 4. Amendment of Rule 6:-

In the Principal Rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-6. Form and manner of notifying change- The occupier shall notify any change in respect of any information under sub-section (1) of section 5 of the Act within 30 days after such change has taken place, online, on the Shop & Establishment Portal of Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

# 5. AMENDMENT OF SCHEDULE - I

In the Principal Rules, the Schedule I is deleted.

# 6. AMENDMENT OF SCHEDULE - II:-

In the Principal Rules, the schedule II is deleted.

# 7. AMENDMENT OF FORMS: -

In the Principal Rules, Form 'G' is substituted as under:-

# 8. DELETION OF FORMS: -

In the Principal Rules, the form 'H' and 'I' are deleted.

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

S. C. YADAV, Addl. Secy. (Labour)

# Form G

# **REGISTER OF WAGES / DEDUCTIONS / OVERTIME/ ADVANCES**

For the month\_\_\_\_\_

Name of the Establishment /Shop	
Address of Establishment /Shop	
Nature of Establishment / Manufacturing Process / Business etc.	

SI. No.	Name of the worker (ID/Token No. if any)	Age/ Date of Birth	Address	Education/ Skill	Sex (M/F)	Father's/ husband's Name	Designation / category / nature of work performed	No. of days worked	Category of Leave	Leaves availed (No. of days)	Leaves rejected	Total Balance Leaves
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

[PART IV

### DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

Other allowances	Over time worked (Number of hours in the month)	Amount of over time wages	Any other amount (Please mention)	Total / gross wages / earnings	Amount of advances / loans if any and purpose of advance	Deductions of fines imposed. If any.	Other deductions like EPF / ESI / Welfare. Fund etc. (if any)	Net amount payable 14- (15+16+17)	Signature / thumb impression	Date of termination and reason	Remarks, if any
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

Signature of the employer / occupier/manager \_\_\_\_\_

Name of signatory \_\_\_\_\_

.

### ATTENDANCE REGISTER

Name of Establishment \_\_\_\_\_\_ Name of owner/Occupier/Manager \_\_\_\_\_\_

Address of Establishment \_\_\_\_\_ Name of Manager \_\_\_\_\_

Month-\_\_\_\_Year\_\_\_\_

c	S.No. in Muster roll- cum-register of vages(Form III)	Name of worker	Date 1 2 331	Summary no. of days	No. of Hours	Signature

In case an employee is not present the following to be entered: (R for Rest/L for Paid Leave/A for absent/O for Weekly Off/H for Holiday /C for Establishment Closed)

5